न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

J.O.Code—UP 2735

UPBH010025332026

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–208/12/2026

गोविन्द प्रसाद———बनाम ———रामपाल आदि।

अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का निस्तारण

29.07.2026

पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन० एस०एस० नियत है। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी गोविन्द प्रसाद द्वारा प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस० एस० मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अ–3 में कथन है कि प्रार्थी ग्राम परसदा थाना खरगूपुर जिला गोण्डा का निवासी है तथा ग्राम खरिहा दा० ककरा मोहम्मदपुर थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच में प्रार्थी के माता श्रीमती समुन्दरा उर्फ दिलवासी के नाम गाटा सं0 735 रकबा 2.3590 हे0 का 1/2 भाग दर्ज है उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह कि दिनांक 16.04.2026 को सुबह 9 बजे प्रार्थी अपनी गेंहू की फसल देखने गया था। प्रार्थी ने देखा कि रामपाल पुत्र कृपाराम निवासी भैरमपुर थाना कौडिया जिला गोण्डा, उधव पुत्र सांवल प्रसाद निवासी खरिहा दा० ककरा मोहम्मदपुर थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच, कमलचन्द पुत्र निबरे यादव निवासी खानपुर मल्लोह थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच तथा अमरेश कुमार यादव पुत्र निबरे ग्राम खानपुर मल्लोह थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच प्रार्थी की बोई जोती खड़ी गेंहू की फसल को जबरिया कम्बाईन से कटवा रहे हैं प्रार्थी दौड़कर खेत में पहुंचा और गेंहू काटने से मना किया तो विपक्षीगण उपरोक्त अमादा फौजदारी हो गये तथा विपक्षीगण अमरेश व कमलचन्द ने प्रार्थी को जमीन पर पटक कर गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियां............. दी तथा मुक्का घूसों से बुरी तरह मारे पीटे प्रार्थी को उधव व रामपाल ने जबरदस्ती पकड़कर बैठाये रखा विपक्षीगण कमलचन्द व अमरेश कुमार अपनी निजी ट्राली में कम्बाईन से गेंहू खाली कराकर भरकर उठा ले गये। विपक्षीगण से किसी तरह अपने को छुडाकर प्रार्थी ने शोर मचाया तब पास पडोस के तमाम लोग मौके पर आ गये तो विपक्षीगण उधव व रामपाल भी ट्राली पर चढ़कर प्रार्थी को जानमाल की धमकी देते हुए गेंहू लेकर चले गये, जाते जाते

विपक्षीगण ने प्रार्थी को थाने पर शिकायत करने पर पुनः जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी का 14 बीघा रकबे का लगभग 35 कुन्तल गेंहू कीमत मु0 70000/–रूपये विपक्षीगण उपरोक्त सरकसी व दबंगई से प्रार्थी के खेत से कटाकर उठा ले गये है। प्रार्थी ने उसी दिन घटना की सूचना थाना विशेश्वरगंज पर जाकर दिया थाने पर रिपोर्ट, न किये जाने पर प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना दिनांक 17.04.2026 को आनलाइन तथा दिनांक 18.04.2026 को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक बहराइच को भेजा है परन्तु पुलिस द्वारा अभी तक प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी है

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक बहराइच को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, शिकायती प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, प्रभारी निरीक्षक थाना विशेश्वरगंज को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, खतौनी की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, उपजिलाधिकारी को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, मूल फोटो ग्राम व डाक रसीद दाखिल किया गया है।

थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्यानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के जरिए किसी साक्ष्य को एकत्र किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक विपक्षीगण को भली–भांति जानता व पहचानता है एवं समस्त तथ्य आवेदक के संज्ञान में है। ऐसी स्थिति में ***माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद*** द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2007 (59) ए०सी०सी० 739*** के आलोक में प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करवाकर मामले को परिवाद के रूप में सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान आवेदक अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियत की जाती है। वास्ते बयान आवेदक दिनांक 21.09.2026 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांक 29.07.2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट), बहराइच।